संख्या-122/2015/2183/नौ-5-2014-321बजट/2014

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नानपारा(बहराईच), पडरौना(कुशीनगर), महराजगंज(महराजगंज) एवं बस्ती (बस्ती)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 01 मई 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय सड़क सुधार योजना'** के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 04 नगर पालिका परिषदों को सड़कों के निर्माण हेतु कुल **₹ 354.95 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 31 प्रतिशत की धनराशि **कुल ₹ 110.00 लाख (₹ एक करोड़ दस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	बहराईच	नगर पालिका परिषद, नानपारा	1. पाटनदीन के मकान से रामादल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	8.34		
			2. प्रहलाद के मकान से पाटनदीन के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क निर्माण	8.20		
			3. सत्या काम्पलेक्स से सरस्वती शिशु मन्दिर तक साइड पटरी सुधार कार्य	11.87		
			4. ओम प्रकाश के मकान से स्व0 कमल नयन की दुकान तक साइड पटरी का कार्य	12.51		
			5.गोयल तिराहे डा0 अग्रवाल से ओम प्रकाश के मकान तक साइड पटरी कार्य	13.82		
			6. गोयल तिराहे से साहू मशीनरी स्टोर तक साइड पटरी का कार्य	13.16		
			7. इमामगंज चौराहे से गांधी पार्क के कोने से साइड पटरी तक(उत्तर साइड) इंटरलाकिंग सड़क का कार्य	6.43		
			8. इमामगंज चौराहे से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कोने से ट्रांसफार्मर	6.87		

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			तक साइड पटरी (दक्षिण साइड) का सुधार कार्य			
			9. मो0 पुरानी बाजार में नानक सरन चौराहे से हाजी कादिल के मकान तक इंटरलाकिंग का कार्य	21.70		
			10. मो0 किला में वली हसन के मकान से मेराज पान वाले की दुकान तक इंटरलाकिंग सड़क का कार्य	19.07		
			11. मो0 किला में जियो नवाब के मकान से सलीम के मकान तक इंटरलाकिंग का कार्य	17.01		
			12. मो0 बेलदारनटोला में जाकिर के मकान से डा0 वली के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क का कार्य	11.14		
			योग	150.12	150.12	46.51
2	कुशीनगर	नगर पालिका परिषद, पडरौना	1. तुलसीनगर वार्ड में आवास विकास कालोनी फेज-111 में री सिद्धेश्वर सिंह के मकान से श्री राम अवध के प्लाट एवं श्री सदाशिव मणि के घर होते हुए श्री बब्लू श्रीवास्तव के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	14.91		
			2. कानू टोला वार्ड में हठठी माई के स्थान से श्री उपेन्द्र शर्मा के मकान होते हुए श्री सोमारी के मकान तक एवं सनराइज स्कूल से अमरनाथ शर्मा के प्लाट होते हुए श्री विश्वनाथ मेम्बर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली नि	30.38		
			3. कानू टोला वार्ड में हनुमान मन्दिर के पास से श्री योगेन्द्र दुबे के घर होते हुए श्री मुन्ना प्रसाद एवं भामनचन्द के घर होते हुए बंजारी घाट मुख्य मार्ग तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	31.44		
			4. कन्नौजिया वार्ड पूर्वी में श्री विपत चौधरी के घर से अनिरूद्ध सोनार के घर होते हुए अशोक लोहिया के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	8.52		

क्र. सं.	जनपद का नाम	नागर निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रार्थित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			5. नेहरू नगर वार्ड में तिलक चौक से मिर्चा मण्डी एवं श्री राजकुमार गुप्ता के घर होते हुए मेस्तर टोली बाड़ी पुलिया तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	29.77		
			योग	115.02	115.02	35.65
3	महराजगंज	नगर पालिका परिषद, महराजगंज	1. वार्ड नं.22 बिस्मिल नगर में पिचरोड पुलिया, श्री ईश्वरदास के प्लाट से अवधेश पब्लिक स्कूल होते हुए एवं डा0 एहसान सिददीकी के मकान होते हुए श्री जकाउल्लाह मुंशी के प्लाट तक पेवर इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	30.45		
			2. वार्ड नं.11 आजाद नगर में अवशेष भाग का कार्य श्री विन्द्रेश कन्नौजिया के घर के सामने नहर पटरी होते हुए पी.डब्लू.डी. पिच रोड चिउराहा नगर पुलिया तक पेवर इंटरलाकिंग सड़क नि.	25.05		
			योग	55.50	50.00	15.50
4	बस्ती	नगर पालिका परिषद, बस्ती	1. वार्ड नं.10 चिकवाटोला में रेलवे स्टेशन मार्ग पर इण्डियन कानवेंट स्कूल की गली में सतीश सोनकर के मकान से मो0 शोएब की दुकान तक इंटरलाकिंग सड़क/नाली निर्माण	25.05		
			2. वार्ड नं.7 पिकौरा शिवगुलाम पचपेडिया मोहल्ले में दविजेश मार्ग पर राजन महिला डिग्री कालेज के सामने से जवाहर के मकान होते हुए सुमित्रा देवी के मकान तक इंटरलाकिंग	14.76		
			योग	39.81	39.81	12.34
			महायोग (क्रमांक-1 से 4)	360.45	354.95	110.00

(₹ एक करोड़ दस लाख मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

Yours

2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यों पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रस्तुत आगणन में प्रार्थित धनराशि एवं उक्त निकायों को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के अन्तर/बढ़ी हुई धनराशि की व्यवस्था सम्बन्धित निकाय अपने स्रोतों से वहन करेंगे।
7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत **'डिस्पले बोर्ड'** पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 31-12-2015 तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत **लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-3.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान'** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के तहत प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-122/2015/2183(1)/नौ-5-2015-321बजट/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. इलाहाबाद।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-01/05/2015

प्रेषण संख्या:- 122-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-122-2015-2183-9-5-14-321Bud-14

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनागत-मतदेय)

80 - सामान्य

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय सड़क सुधार योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बस्ती-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1234000 1234000	1234000 1234000
2	बहराइच-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4651000 4651000	4651000 4651000
3	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1550000 1550000	1550000 1550000
4	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3565000 3565000	3565000 3565000
	योग	वर्तमान प्रगामी	11000000 11000000	11000000 11000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ दस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ दस लाख

(उमा शंकर सिंह)

संयुक्त सचिव